न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद–45/2016

अनिता देवी बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

23.3.18

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील अपीलार्थी अनिता देवी, पति–गणेश चौधरी द्वारा सी०डब्लू०जे०सी०–793/10 में दिनांक–02.07.2010 को मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय द्वारा आँगनबाड़ी वाद संख्या–45/2010 में दिनांक–03.01.2014 को आदेश खारीज किये जाने के विरूद्ध क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया है।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3226, दिनांक–11.08.2015 के निदेश कंडिका–10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से हस्तानान्तरित होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का कहना है कि सहरसा जिला नगर परिषद् अन्तर्गत वार्ड संख्या–18/19 के आँगनबाड़ी केन्द्र–तेलियारी टोला (विद्यापति नगर), केन्द्र संख्या–85 के सेविका/सहायिका पद के चयन से संबंधित है। उक्त केन्द्र के लिए वर्ष 2007 में मैपिंग पंजी बनाया गया व पोषक क्षेत्र का निर्धारण किया गया। तदनुरूप पोषक क्षेत्र का वर्ग बाहुल्य सामान्य वर्ग घोषित किया गया तथा चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त केन्द्र के सेविका/सहायिका पद हेतु वर्ष 2007 में आवेदन दाखिल किया गया, जिसके अनुरूप दिनांक–18.04.2007 को सेविका/सहायिका पद के चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा द्वारा अन्नपूर्णा देवी का चयन सेविका के रूप में तथा अपीलार्थी अनिता देवी का चयन सहायिका पद हेतु किया गया तथा योगदान देकर कार्यरत हुई तथा उनके चयन के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं हुई। कुछ वर्ष कार्य करने के उपरांत सेविका चयन मुक्त हो गई तथा किसी अन्य सेविका का चयन नहीं हो सका। सेविका का पुनः चयन नहीं होने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा सेविका का विशेष प्रभार अपिलार्थी को दिया गया और उनके द्वारा सुचारू रूप से विभाग के सभी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए केन्द्र का संचालन किया गया, इस दरम्यान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा उनका बतौर सेविका उक्त केन्द्र हेतु दक्षता परीक्षा लिया गया, जिसमें वे उत्तीर्ण हुई व लगातार कार्यरत् रहीं। उक्त केन्द्र पर मार्गदर्शिका के अनुरूप सेविका चयन हेतु वर्ष 2009 में विज्ञापन निकाला गया। निकाले गये विज्ञापन के आलोक में मात्र दो अभ्यर्थी अनिता देवी (अपीलार्थी) एवं विपक्षी रीना देवी द्वारा आवेदन समर्पित किया गया था। चूँकि पूर्व से मैपिंग पंजी के अनुसार पोषक क्षेत्र बना हुआ था, इसलिए विभागीय पत्र संख्या–आई.सी.डी.एस. 40020/1–2011/2005, दिनांक 27.04.2013 के कंडिका 2(ख) के अनुसार "वैसे केन्द्र जहाँ चयन मुक्ति के कारण सेविका/सहायिका का पद रिक्त हो वहाँ पूर्व के परिसीमन के आधार पर हीं चयन कार्य पूर्ण किया जाय।" के आधार पर पूर्व के मैपिंग पंजी के अनुसार ही चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अपीलार्थी सभी अहर्त्ताओं को पूरा करती थी तथा उक्त केन्द्र पर आम सभा द्वारा चयनित तथा कार्यरत थी तथा सेविका चयन हेतु अपीलार्थी को मार्गदर्शिका के अनुरूप सहायिका के तौर पर 7 अंक प्रतिशत बोनस के रूप में मिलने के बाद आवेदिका मेधा क्रमांक में आगे थी, चूँकि वर्ग बाहुल्य सामान्य वर्ग से काई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं दिया था, इसलिए मार्गदर्शिका, 2006 की कंडिका 6(ग) के अनुरूप व नये मार्गदर्शिका, 2011 के अनुरूप भी जब पोषक क्षेत्र में वर्ग बाहुल्य की अभ्यर्थी नहीं हो तब अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा, जिसके अनुरूप आम सभा से आवेदिका की चयन की घोषणा की गई, किन्तु तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा एवं वार्ड सदस्य द्वारा मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप आवेदिका को चयन पत्र न देकर गलत रूप से पुनः मैपिंग पंजी बना कर कर वर्ग बाहुल्य पिछड़ा वर्ग घोषित कर आम सभा दिनांक 22.10.2009 के द्वारा विपक्षी का चयन कर दिया गया।

23.3.18

जिसकी जानकारी होने पर आवेदिका द्वारा वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, किन्तु कोई फलाफल नहीं निकलने के पश्चात आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० 793/10 दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि जिला पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष वाद दाखिल करें व मार्गदर्शिका में वर्णित निहित प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करेंगे।

प्रस्तुत वाद में विपक्षी रीना देवी को पक्षकार बनाया गया किन्तु रीना देवी आज तक उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि रीना देवी की मृत्यु हो गई। तब अपीलार्थी श्रीमान् से वाद सुनवाई के दौरान उक्त संदर्भ में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा से रिर्पोट माँगने की याचना की गई, जिसके आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन जिसमें उल्लेख किया गया है कि विपक्षी रीना देवी की मृत्यु 12.05.2016 को हो गई है।

आवेदिका का आगे कहना है कि मात्र दो अभ्यर्थी उक्त केन्द्र के सेविका पद हेतु आम सभा में अभ्यर्थी थी और चयन समिति द्वारा गलत रूप से विपक्षी का चयन किया, जब विपक्षी की मृत्यु हो गई है तब इस स्थिति में अपीलार्थी ही एक मात्र अभ्यर्थी बचती है तथा विपक्षी रीना देवी के गलत चयन को रद्द करते हुए अपीलार्थी का चयन करने का आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। वर्ष 2007 में बाहुल्य वर्ग अस्पष्ट होने एवं सेविका चयन नहीं होने की पुष्टि उपलब्ध अभिलेखों से हो जाती है। पुनः वर्ष 2007 के सेविका/सहायिका चयन उपरांत वार्डो का परिसीमन किया गया एवं वर्ष 2009 में तेलियारी आँगनबाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र सर्वेक्षण/मैपिंग नजदीकी आँगनबाड़ी सेविका से कराई गई, जिसमें बाहुल्य वर्ग पिछड़ा वर्ग पाया गया है। दिनांक–21.08.2009 को सेविका चयन हेतु आम सभा आयोजित की गई, जिसमें चयन समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य उपस्थित थे। आमसभा द्वारा चयन मार्गदर्शिका के अनुसार रीना देवी पति–विजय कुमार साह को सेविका पद हेतु चयन किया गया। आवेदिका अनीता देवी ने सहायिका पद पर कार्यरत रहते हुए सेविका पद के लिए आवेदन दिया था, परन्तु आवेदिका बाहुल्य वर्ग में नहीं आती है। वर्ष 2007 में आवेदिका का चयन आँगनबाड़ी सहायिका पद के लिए हुआ है न कि आँगनबाड़ी सेविका पद के लिए साथ ही आम सभा की तिथि को आवेदिका अनीता देवी अनुपस्थित हैं। विभागीय मार्गदर्शिका, 2007 की कंडिका 5 (v) में निदेशित है कि आम सभा में आवेदिका की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस प्रकार आवेदिका का आँगनबाड़ी सेविका पद के लिए चयन संबंधी आरोप निराधार है।

अतः अपील को अस्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० को निदेशित किया जाता है कि उक्त केन्द्र पर पुनः नये सिरे से चयन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1521-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
25.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।